महत्वपूर्ण एवं खास

हत्या का आरोपी जेल दाखिल

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल अन्तर्गत ग्राम गढउमरिया में रहने वाली तिरीथ कुंवर साव पति डमरूधर साव की उसके पडोसी सीताराम सिदार पिता भंवर सिंह सिदार उम्र 49 वर्ष द्वारा लोहे के धारदार कुल्हाडी से गर्दन के दाहिने तरफ मारकर हत्या कर दिया । घटना बाद पुलिस चौकी जुटमिल स्टाफ द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया था, जिसे आज रिमांड पर भेजा गया जहां से जेल वारंट पर जिला जेल दाखिल कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दिनांक 20/07/2019 के दोपहर करीब 03.40 बजे तिरीथ कुंवर साव घर के बाहर झाडु लगा रही थी उसी समय सीताराम सिदार आया । सीताराम सिदार अपने हाथ मे एक लोहे का धारदार टांगा रखा था और तिरीथ कुंवर को बोला कि तुम झाडु लगाकर कचरा को मेरे घर तरफ रोज डाल देंती हो तब तिरीथ कुंवर बोली कि मै तो कचरा को झाडु लगाकर अपने ही घर तरफ किनारे में डालती हू । इसी बात पर सीताराम सिदार काफी आक्रोश में आ गया और अपने हाथ में रखे लोहे के धारदार कुल्हाडी से तिरीथ कुंवर की हत्या करने की नियत से गर्दन के दाहिने तरफ मारा जिससे तिरीथ कुंवर वहीं गिर गई । तिरीथ कुंवर के परिजन बोलेरो वाहन में तिरीथ कुंवर को ईलाज करवाने के.जी.एच. रायगढ लेकर गये थे जहां डाक्टर ने तिरीथ कुंवर का मृत्यु हो जाना बताया है ।

दिवंगत युवा नेता की स्मृति मे खिचड़ी भोज का वितरण

न्याय साक्षी/रायगढ़।शहर के दिवंगत युवा नेता अर्जुन रोहड़ा के जन्मदिन के स्मृति मे गत 19 जुलाई शुक्रवार को ÷बेटी बचाओ स्टेशन चौक÷ पर गरीबों मजलूमों मे भोजन वितरण का आयोजन किया गया। स्व. अर्जुन के सेवाभावी स्वभाव के अनुरुप उनके अनुज धन्नू रोहड़ा ने सैकडों भूखों को निःशुल्क खिचड़ी भोज वितरित किया।। इस पुनीत कार्य मे नगर कांग्रेस के युवा साथियों ने धन्नू का भरपूर सहयोग दिया। ज्ञात हो कि बेहद मेहनती व स्वाभिमानी युवा व्यवसायी एवं कांग्रेसी नेता अर्जुन रोहडा की दो वर्ष पूर्व खरसिया मे दुकान सम्बन्धी मामूली विवाद को लेकर करीब दर्जन भर बदमाशों ने मिलकर अर्जुन की जान ले ली थी। हालांकि उस प्रकरण में शामिल सभी आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अर्जुन रोहडा के आकस्मिक निधन से समूचा शहर शोकमग्न हो गया था।

मामूली विवाद में पिता ने पुत्र की टांगी मारकर की हत्या

पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द क्षेत्र की घटना

न्याय साक्षी/रायगढ़। पिता- पुत्र के मामूली विवाद के बाद पिता ने टांगी मारकर पुत्र की हत्या कर दी। उक्त मामला रैरूमाचौकी थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में ग्राम ससकोबा में रहने वाली श्रीमती गोंदा बाई मांझी उम्र 20 वर्ष उसके पति गोपाल मांझी (21 वर्ष) की उसके ससुर रतीराम मांझी (उम्र लगभग 40 वर्ष) द्वारा टांगी से मारकर हत्या कर देने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। प्रार्थीया ने बताया कि लगभग 6-7 साल पूर्व इसकी सास की मौत हो चुकी है। ससुर रतीराम दूसरी पत्नी लाना चाहता था जिसे गोपाल मना कर दिया था उसी बात पर दोनों पिता-पुत्र के बीच

अनबन था। रतीराम मांझी अपने बेटे से यह कहकर लडाई झगडा करता था कि तुम मुझे दूसरी पत्नी लाने से मना कर दिये हो मेरा जिन्दगी बिगाड दिये हो। 19 जुलाई की रात्रि दोनो बाप-बेटा शाराब पीये थे और घर से लडते हुए गांव से दुर किरिया जाने के रास्ते तक पहुंच। रात्रि लगभग दो ढाई बजे रतीराम मांझी घर वापस आकर अपनी बहु गोंदा मांझी को बताया कि बेटा गोपाल को मार दिया हुं। तब गोंदा बाई अपने चाचा ससुर अनिल मांझी के साथ अपने पति गोपाल को देखने गये तो गोपाल बासेन टिकरा के पास बेहोश पडा था उसके चेहरा, सिर से बहुत ज्यादा चोटे आकर खून निकला हुआ था। जिसे 108 संजीवनी वाहन से पत्थलगांव अस्पताल लेकर गये। डॉक्टर ने गोपाल की मृत्यु हो जाना बताया। पत्थलगांव थाने में मर्ग, पंचनामा व पोस्ट मार्टम के बाद आजरिपोर्ट पर थाना धरमजयगढ़ चौकी रैरूमा में आरोपी रतीराम मांझी के विरूद्ध धारा 302 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी रतीराम मांझी घटना बाद से फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है।

शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत

शिकारियों ने साक्ष्य छिपाने दूर शव को दफनाया

न्याय साक्षी/रायगढ़। संबलपुरी के जंगल में जंगली सुअर के शिकार के लिए करंट प्रवाहित तार बिछाया गया था। जिसकी चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। जहां मामले को छिपाने के लिए शिकारियों ने शव को दूर ले जाकर छिपा दिया था। मामले में गुम इंसान दर्ज कर पुलिस जांच में जूटी तो परत दर परत मामले का खुलासा होते चले गया और पुलिस ने तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं घटना से जुड़ा मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। उक्त मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र की है।

इस संबंध में मिली जानकारी

के मुताबिक शुक्रवार को संबलपुरी के जंगल में करीब चार शिकारियों के द्वारा करंट प्रवाहित तार जंगली सुअर के शिकार के लिए लगाया गया था। इसी दौरान करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने से गांव का बोधीराम की मौत हो गई और जब मामले की जानकारी शिकारियों को लगी, तो उन्होंने साक्ष्य छिपाने के लिए मृतक के शव को जंगल में ही दूर ले जाकर छिपा दिया था। वहीं शुक्रवार से घर नहीं आने के कारण मृतक के परिजनों ने चक्रधर नगर थाना में इसकी सूचना दी। जहां पुलिस मामले में गुम इंसान दर्ज कर जांच कर रही थी।

तब चक्रधर नगर पुलिस ने जांच में तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने पूरे घटना के बाद बारे में बताया। जहां आज आरोपियों के साथ चक्रधर नगर थाना प्रभारी युवराज तिवारी व उनकी टीम उस स्थान पर पहुंची। जहां शिकारियों ने शव को छिपा दिया था। इसके बाद शव को वहां से उठा कर पीएम व आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया। वहीं मामले में बताया जा रहा है कि एक युवक फरार है। फिलहाल मामले में पुलिस अपराध कायम कर आगे की जांच में जूट गई है।

तमनार पुलिस की जुआ एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभय सिंह के नेतृत्त में दिनांक 20/07/2019 को मुखबिर सूचना पर ग्राम सलिहाभांठा गुप्ता गैरेज के पीछे तास पत्ती से जुआ खेल रहे जुआडियान को तमनार पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया । इस दौरान जुआडियान 1.

गोकुल साव पिता हेमशंकर साव उम्र 35 वर्ष , 2. अमृत साव पिता साधराम साव उम्र 75 वर्ष 3. अजय पटेल पिता सम्पतलाल पटेलउम्र 28 वर्ष 4. युधिष्ठीर साव पिता श्याम लाल साव उम्र 43 वर्ष 5. कमलेश बैरागी पिता गिरधर बैरागी उम्र 39 वर्ष रंगे हाथ जुआ खेलते पकडे गये अन्य जुआडी पुलिस को देखकर भाग गये। जुआडियान के पास एवं जुआ फड से जुमला नगदी रकम 10,250 रुपये एवं 52 पत्ती ताश, एक बोरी जप्त किया गया है । आरोपियों के विरूद्ध थाना तमनार में 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

हाथी की बिगड़ी हालत को देखने पहुंचे वाईल्डलाईफ सीसीएफ

» वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ ईलाज

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाए गए नये नियमों का खामियाजा पालतू हाथी व उसके महावत भुगत रहे हैं चूंकि बीते दिनों सारंगढ़ में पालतू हाथी की मौत के बाद वन विभाग के आदेश पर उसके महावत को जेल भेज दिया गया था, ठीक चार दिन बाद छत्तीसगढ़ शासन ने भी हाथी को पालकर उनका प्रदर्शन तथा भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाते हुए महावत पर कार्रवाई के आदेश जारी किए थे जिसके चलते रायगढ़ वन विभाग ने करीब एक माह पूर्व एक महावत व उसके पालतू हाथी को वन विभाग द्वारा पकड़कर उर्दना डीपो में रखा गया था, लेकिन विभाग के द्वारा उस पर सही तरह से ध्यान नहीं दिया गया। जिसके चलते कुछ दिन पहले पालतू हाथी के पैर में चोट लगने के कारण घाव हो गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसकी जानकारी जब सेव फारेस्ट समिति व मिडिया को लगी, तो उन्होंने मामले को गंभीरता से उठाया और हाथी के इलाज के लिए दबाव बनाया। तब कहीं जा

कर वन विभाग के अधिकारी सोते से जागते हुए बीमार हाथी का हाल जानने के लिए उर्दना डिपो पहुंचे और उसका ईलाज शुरू किया। वहीं कल शाम हाथी की स्थिति को देखने के लिए बिलासपुर से वाईल्डलाइफ सीसीएफ पहुंचे और उन्होंने भी वन मंडलाधिकारी को हाथी की देखरेख के लिए कडे निर्देश दिए।

आवश्यकता है

CAREER SCHOOL

अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए

गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।

वेतन योग्यतानुसार

मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक

अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।

CAREER SCHOOL

श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता — इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां — मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु — प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें — संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कर्मचारियों का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

CAREER SCHOOL

HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL

स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996

पिछले 22 वर्षों से लगातार बच्चों के साथ...

ADMISSION OPEN

ENGLISH MEDIUM

For Nuresery to 10th

Topper Students Last Session

Major Facts

1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....

CAREER SCHOOL ENGLISH MEDIUM BEHIND STADIUM STREET RAIGARH C.G. 07762-221359

Join CAREER...

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480